

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौ. / मान्यता / 2024 / 15193

भोपाल, दिनांक... 5.11.24

—आम सूचना—
(संशोधित)

प्रति,

संचालक / प्राचार्य,
समस्त नर्सिंग संस्थायें
मध्यप्रदेश

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2024-25 के मान्यता नवीनीकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

—000—

मा10 उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में पारित आदेश एवं प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु मान्यता नवीनीकरण के आवेदन बुलाये जाने हैं, जिस हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश निम्नानुसार है :-

1. सी.बी.आई. द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान नर्सिंग संस्थाओं की सुविधाओं, लोकेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में आवेदन दिनांक तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, इस संबंध में नर्सिंग संस्थाओं के संचालक द्वारा शपथ पत्र दिया जावेगा। संचालक द्वारा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यवाही की जावेगी।
2. मा10 न्यायालय से प्राप्त आदेश अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु मान्यता पोर्टल **Unsuitable** कॉलेजों के लिए भी खोला जा रहा है।

नोट:- मान्यता संबंधी समस्त प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगा।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)


रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)